कार्यालय जिला पंचायत, वाराणसी।

पंजीयन/नवीनीकरण सूचना–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 अध्यक्ष महोदया की स्वीकृति दिनांक–8–01–2020 के अनुपालन में जिला पंचायत,वाराणसी में निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 ठेकेदारी पंजीयन कराने के इच्छुक व्यक्तियों तथा गत वर्ष पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु 20–01–2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य/आवश्यक है:–

1– निवास प्रमाण–पत्र एवं मूल पत्र व्यवहार का पता (शपथ पत्र के साथ)।

2–चरित्र प्रमाण–पत्र जो गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (टी0–4)पर निर्गत किया गया हो, जो दो वर्ष के अन्दर का हो।

3– हैसियत प्रमाण–पत्र पॉच लाख रू0 का जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (टी0–5) पर निर्गत किया गया हो, जो दो वर्ष के अन्दर का हो।

4–जिला पंचायत में ठेकेदारी पंजीयन/नवीनीकरण सामान्य जमानत धनराशि (मु0 25,000.00 रू0 नगद जिलानिधि में एवं मु0 25,000.00 रू0 का राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैंक एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, वाराणसी के पक्ष में बंधक होगा।

5– जी0एस0टी0 में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र(जी0एस0टी0 नम्बर नियमानुसार फर्म या सोल प्रोपराइटर,रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एंव अदेयता प्रमाण पत्र)संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6–आयकर विभाग द्वारा प्राप्त पैन कार्ड की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति।

7–सरकरी विभागों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

8–पासपोर्ट साइज की दो फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो।

9–जिला पंचायत में ठेकेदारी पंजीयन शुल्क मु02,0000/–रू0एवं नवीनीकरण शुल्क मु0 1,0000/–रू0 जमा करना होगा।

10–जिला पंचायत में जो भी व्यक्ति/संस्था ,ठेकेदारी का कार्य करना चाहेगा ,उसे स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर देना होगा । यह स्वघोषणा पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पर नियमानुसार सत्यापित कराकर देना होगा ।

11–निर्माण नियमावली की धारा 18 के अन्तर्गत ठेकेदार का नवीनीकरण पूर्व में किये गये कार्य के गुणदोष के आधार पर किया जायेगा।

12–पंजीयन/नवीनीकरण निर्माण नियमावली के नियम 18 के तहत निर्माण कार्य समिति के अनुमोदनार्थ एंव स्वीकृति पश्चात अग्रिम कार्यावाही की जायेगी।

13–जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदार जिनका नवीनीकरण अपेक्षित है उनको मात्र चरित्र प्रमाण–पत्र/हैसियत प्रमाण–पत्र टी0–4 (यदि किसी व्यक्ति द्वारा हैसियत प्रमाण–पत्र टी0–5 अपने अभिभावक का दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति का चरित्र प्रमाण–पत्र टी0–4)/टी0–6 एवं नवीनीकरण शुल्क देय होगा।

14–दो या अधिक साझेदारी वाली फर्म/कम्पनी के नाम के पंजीकरण कराते समय फर्म/कम्पनी के नाम की हैसियत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जिसका कठोरता से अनुपालन किया जायेगा। एकल स्वामित्व (सोल प्रोपराइटर) फर्म के पंजीकरण के लिए जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत हो के मामलों के ट्रेड नेम अथवा लीगल नेम से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र को मान्यता दी जायेगी।

15–कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूद्व आपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा जो माफिया गतिविधियों ,गैगस्टर एंव असामाजिक कार्यो गुडा गतिविधियों में संलग्न हो,उनका पंजीकरण /नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।किसी स्तर पर यदि सम्बन्धित ठेकेंदार की इस तरह की गतिविधियों मे संलिप्तता अगर बाद में पायी जाती है तो नियमानुसार पंजीकरण/नवीनीकरण के निस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

16–उत्तर प्रदेश शासन पंचायतीराज के पत्र सं0 6596/33–93–69जी/93 दिनांक–01.11.1993 द्वारा प्रसारित निर्देशानुसार जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कराये जाने वाले निर्माण तथा सामग्री आपूर्ति के ठेको में जिला पंचायत द्वारा के पदाधिकारी सदस्य अधिकारी तथा कर्मचारी या उनके किसी सम्बन्धियों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। सम्बन्धियों की परिभाषा उत्तर प्रदेश जिला पंचायत सेवा नियमावली 1970 के नियम 54 में स्पष्ट रूप से दी गयी परिभाषा(इस नियम के प्रयोजनों के लिए सम्बन्धी का तात्पर्य पिता, पितामह, ससुर,चाचा या मामा ,पुत्र,पौत्र,दामाद,भाई ,भतीजा, या भांजा, सगा चचेरा या ममेरा भाई,पत्नी की बहन, पत्नी,पुत्री,पुत्रवधु,बहन,भाभी जो भाई या सगे चचेरे या ममेरे भाई की पत्नी हो माता,सास,चाची या मामी से है।) से सम्बन्धित व्यक्ति का आवेदन पत्र स्वत; निरस्त समझा जायेगा।

आवेदनकर्ता को जिला पंचायत के पदाधिकारी, सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारी या उनके किसी सम्बंधी को न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, वाराणसी।

पत्रांक: 337 /जि0पं0वा0/2019–20 दिनांक 09 जनवरी 2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित:–

1– मा0 अध्यक्ष,जिला पंचायत,वाराणसी।
2– जिलाधिकारी, वाराणसी।
3–मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
4–जिला सूचना अधिकारी,वाराणसी को इस आशय से प्रेषित की वेबसाइट www. varanasi .nic.in अपलोड करने का कष्ट करें।
5–अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड वाराणसी।
6–अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्यमण्डल, वाराणसी।
7–दैनिक समाचार पत्र......आज, दैनिक जागरण, काशीवार्ता.........के पास इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समाचार पत्र को अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर समाचार पत्र की चार प्रतियो के साथ बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
8–नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

09.1.2020
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, वाराणसी।